राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017
E-mail: rajssa.training@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/प्रशिक्षण/2020–21/16679 दिनांक : 19/11/2020

निदेशक,
माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा,
बीकानेर (राज0)।

विषय :– निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा के संस्थाप्रधानों एवं कक्षा 1–8 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों की शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समग्र शिक्षा की वार्षिक योजना 2020–21 में गत वर्ष निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम से वंचित प्रारम्भिक शिक्षा के संस्थाप्रधानों एवं कक्षा 1–8 को पढ़ाने वाले शिक्षकों हेतु ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 16 अक्टूबर 2020 से प्रारम्भ किया गया है।

उक्त प्रशिक्षण दीक्षा प्लेटफार्म के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। निष्ठा प्रशिक्षण में कुल 18 मॉड्यूल है एवं प्रत्येक 15 दिवस की अवधि में तीन प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किए जा रहे है जिन्हें 15 दिवस की अवधि में ही पूर्ण किया जाना है। इसका कैलेण्डर संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों की नेतृत्व क्षमता विकसित कर उन्हें दक्षता आधारित शिक्षण के लिए तैयार करने में अत्यंत उपयोगी है। निष्ठा प्रशिक्षण हेतु जिलेवार लक्ष्य आवंटित करते हुए गतवर्ष निष्ठा प्रशिक्षण से वंचित शिक्षकों का डाटा गूगल शीट में भरने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त क्रम में अभी भी कुछ शिक्षकों का डाटा गूगल शीट में अपूर्ण अथवा शिक्षक की स्टॉफ आईडी सही नहीं है। अतः आपके स्तर से जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाना अपेक्षित है कि अपूर्ण डाटा को पूर्ण एवं सही करते हुए सही डाटा परिषद द्वारा जारी EXCEL SHEET में भर कर पुनः परिषद को मेल करें उन शिक्षकों की जिलेवार सूची संलग्न की जा रही है।

इसी क्रम में जिलेवार लक्षित शिक्षकों की संख्या संलग्न प्रेषित कर आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रशिक्षण में समस्त लक्षित शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु भी समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करने का श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(डॉ0 भँवर लाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

www.rajsevak.com

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/प्रशिक्षण/2020–21/ 16679 **दिनांक :** 19/11/2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
5. कार्यालय प्रति।

19.11.20
अति0 राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम